

प्रेस नोट थाना बासगांव दिनांक 18-05-2021

अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण व विक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट पर्यवेक्षण में कच्ची अबैध शराब के कारोबारीयों के विरुद्ध अभियान के तहत टीम बनाकर अवैध शराब के विरुद्ध जगह-जगह छापे मारी की गयी। दविश के क्रम मे ग्राम गुआर से एक नफर अभियुक्त राजु पुत्र राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 150 ग्राम नौसादर तथा 350 ग्राम यूरिया व 10 ली0 अबैध कच्ची शराब बरामद की गयी तथा अन्य चार लोग मौके से भाग गये। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 119/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट व 272 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजू पुत्र राधेश्याम वर्ष निवासी ग्राम गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 18.05.2021 समय 12.05 बजे, गिरफ्तारी का स्थान – गुआर

अपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु0अ0सं0 119/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट व 272 भा0द0वि0

गिरफ्तारी टीम मे सम्मिलित पुलिस अधि/0कर्मचारी-

1. प्र0नि0 श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 मनोज कुमार गुप्ता
3. म0का0 आरती यादव
4. आरक्षी जय प्रकाश यादव
5. आरक्षी ध्रूपचन्द